मुख्यधारा से अलग कर दिये गये लैंगिक एवं यौनिक व्यक्तियों हेतु दक्षिण एशियाई मानवाधिकार संघ
(SAHRA)

वैचारिक–प्रपत्र

(काठमाण्डू कॉन्सैप्ट नोट)

अगस्त 2012

मुख्यधारा से अलग कर दिये गये लैंगिक एवं यौनिक व्यक्तियों हेतु दक्षिण एशियाई मानवाधिकार संघ
(SAHRA)

काठमाण्डू कॉन्सैप्ट नोट, अगस्त 2012

1. पृष्ठभूमि

दिनांक 3–4 सितम्बर 2008 को काठमाण्डू में एक दक्षिण–एशियाई साझेदारी निर्माण बैठक बुलाई गई। निम्न मानदण्डों के आधार पर भागीदारों का चयन किया गया:

(एक) क्षेत्र के अधिक–से–अधिक संभव राष्ट्रों में से प्रतिनिधित्व;

(दो) महिला–समलैंगिकों, पुरुष–समलैंगिकों, द्वि–लैंगिक, विपरीत–लिंगी व अंतर–लैंगिकों के हितार्थ अधिकार–आधारित कार्य में प्राथमिक तौर पर संलग्न संगठनों में से प्रतिनिधित्व।

इसके अतिरिक्त, लैंगिक पहचान व यौनिक दिग्विन्यास के सम्बन्ध में एकल व्यक्ति भागीदारों की विविधता भी चाही गई।

नेपाल, भारत, बांगलादेश पाकिस्तान व श्री लंका से आये भागीदारों द्वारा इस बैठक में उपस्थिति दर्ज कराई गई; ये सभी यौनिक झुकाव और/अथवा लैंगिक पहचान (जैसे हिजड़ा, जनाना, ख़्वाजासरा, कोठी, नाची, तृतीय लैंगिक, किन्नर, समलिंगोन्मुख– महिला–समलैंगिक, पुरुष–समलैंगिक, द्वि–लैंगिक, विपरीत–लिंगी व अंतर–लैंगिक व अस्तित्ववान अन्य क्षेत्रीय अन्तरक, जिन्हें एतस्मिनपश्चात् संयुक्त रूप से LGBTI संदर्भित किया गया है) के चलते किनारे कर दिये गये (अधिकारहीन) व्यक्तियों के मुद्दों पर कार्य कर रहे थे। यह बैठक नेपाल की ब्लू डायमण्ड सोसाइटी (BDS) के साथ एक कोष समझौते के तहत LGBT अधिकारों हेतु नॉर्वेजियन संगठन (LLH) द्वारा आरम्भिक कोष सहायता एवं सहयोग से सम्भव हो पाई।

इस बैठक का एक प्रमुख परिणाम यह रहा कि एक ऐसा मानवाधिकार संघ, जो क्षेत्र के LGBTI व्यक्तियों के मानवाधिकारों को सुदृढ़ कर सके, की स्थापना हेतु सुझाव सामने आया। प्रस्तावित संघ का अंतरिम नामकरण अधिकारहीन लैंगिक एवं यौनिक व्यक्तियों हेतु दक्षिण एशियाई मानवाधिकार संघ (SAHRAMSG) किया गया जिसे एतस्मिनपश्चात् लघु रूप में SAHRA संदर्भित किया गया है।

आगे की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु एक स्वैच्छिक कार्य–दल, जिसमें पाँच उपस्थित राष्ट्रों में से प्रतिनिधिगण शामिल थे, स्थापित किया गया। सभा ने यह निर्णय लिया कि लैंगिक संतुलन आवश्यक है तथा भारत चूँकि बड़े आकार का है, उसे दोगुना प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अंतरिम अवधि के दौरान कार्य–दल में अतिरिक्त स्वयंसेवियों को आमंत्रित कर लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया।

सितम्बर 2008 की बैठक के पश्चात् भागीदारों ने एक संघ की स्थापना की आवश्यकता, प्रासंगिकता व उद्देश्यों के सम्बध्ध में राष्ट्र–स्तरीय परामर्श किये। पुनः काठमाण्डू में 7–8 अप्रैल 2009 को कार्य–दल के सदस्यों के साथ एक पूरक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का परिणाम एक अवधारणा–पत्र रहा जिसे कालान्तर में राष्ट्र–स्तरों पर LGBTI अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया गया। इन राष्ट्र–स्तरीय बैठकों से प्राप्त जानकारी (फ़ीडबैक) पर काठमाण्डू में अगस्त 19–20 को हुई एक पूरक बैठक में चर्चा की गई। इस फ़ीडबैक को समाहित करने हेतु उक्त अवधारणा–पत्र को सम्यक् रूप से संशोधित किया गया। तबसे कार्य–दल की अनुक्रमी बैठकों में इस अवधारणा–पत्र पर अनेक विचार–विमर्श हो चुके हैं। ये बैठकें थीं: 18–20 अप्रैल 2010 में कोलम्बो (श्री लंका) की बैठक; 7–8 अप्रैल 2011 में ढाका (बांग्लादेश) की बैठक; 4–5 अगस्त 2011 में धूलिखेल (नेपाल) की बैठक; 13–14 फ़रवरी 2012 में गोदावरी (नेपाल) की बैठक व 24–26 अगस्त 2012 में काठमाण्डू (नेपाल) की बैठक।

SAHRA एक महत्वपूर्ण दौर से गुज़र रहा है। दक्षिण एशिया (व इससे परे) के समुदाय, संगठन व एकल व्यक्ति SAHRA की ओर अत्यधिक आशा एवं प्रत्याशा के साथ देख रहे हैं; किन्तु प्रक्रियागत विधिक औपचारिकताओं के चलते एक स्वतंत्र विधिक अस्तित्व की भाँति SAHRA का पंजीकरण होना अभी शेष है। यह महत्वपूर्ण है कि इस आशा एवं प्रत्याशा की घड़ी को न गंवाते हुए SAHRA कार्य आरम्भ करे। भागीदार राष्ट्रों के कार्य–दल सदस्यों ने इस प्रकार यह संकल्प लिया है कि राष्ट्र विशेष कार्य–योजनाओं के साथ सारभूत कार्य आरम्भ किया जाये। इसके साथ–साथ SAHRA के औपचारिक पंजीकरण के प्रयास जारी रहेंगे।

2. प्रस्तावना

2.1 दर्शन / दूर–दर्शिता

SAHRA लोगों की लैंगिक पहचान व यौनिक दिग्विन्यास तथा उसकी अभिव्यक्ति को परे रख सभी लोगों की गरिमा, सुरक्षा, समान अवसर व स्वतंत्रता के अन्तर्निहित अधिकार में विश्वास रखता है। यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहाँ कि प्रत्येक LGBTI व्यक्ति मानवाधिकारों की वैश्विक उद्घोषणा (UDHR) में प्रतिष्ठापित (व जैसे कि योग्यकर्ता सिद्धान्तों www.yogyakartaprinciples.org में वर्णित हैं) मानवाधिकारों से प्रफुल्लित हो सके।

2.2 ध्येय / लक्ष्य

2.2.1 SAHRA का वृहद उद्देश्य दक्षिण एशिया क्षेत्र में LGBTI व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु कार्यरत संगठनों, समर्थकों व आन्दोलनों के प्रभाव एवं असर को मजबूत कर, व इन अधिकारों के प्रति राष्ट्रों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर, इस क्षेत्र के LGBTI व्यक्तियों व उनके प्रतिरक्षणकर्ताओं के मानवाधिकारों का संरक्षण, प्रोन्नयन व पूर्तिकरण करना है।

2.2.2 SAHRA क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर यह सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में LGBTI मुद्दे मानवाधिकार व सामाजिक न्याय का अभिन्न भाग हैं। SAHRA विश्वास करता है कि मानवाधिकारों को यथार्थ रूप में लाने हेतु सक्षमकारी वातावरण एक मूलभूत आवश्यकता है।

2.2.3 SAHRA का परमकार्य होगाः LGBTI व्यक्तियों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का प्रलेखीकरण करना; उल्लंघन के इन मामलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना; सभी आवश्यक गतिविधियों, जो मानवाधिकारों की मान्यता, संरक्षण व प्रोन्नयन में वृद्धि करती हों, की पुरज़ोर वकालत करना।

2.2.4 अपने परमकार्य के कार्यक्षेत्र व उसकी पूर्ण समझ हेतु SAHRA योग्यकर्ता सिद्धान्तों से दिग्दर्शित होगा। इन सिद्धान्तों की भूमिका का एक अंश इस प्रकार हैः

''व्यक्तियों के वास्तविक या समझे गये यौनिक दिग्विन्यास अथवा लैंगिक पहचान के कारण उनके प्रति लक्ष्यित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले गंभीर चिंता का एक विश्व–स्तरीय सुदृढ़ स्वरूप गठित करते हैं। इनमें शामिल हैं न्यायिकेतर प्राण–हरण, उत्पीड़न व बुरा–बर्ताव, लैंगिक हमला व बलात्संग, निजता–भंग, मनमाना परिरोध, रोज़गार व शिक्षा के अवसर देने से इंकार व अन्य मानवाधिकारों के उपभोग के सम्बन्ध में गम्भीर भेद–भाव। उल्लंघन के इन मामलों में अक्सर हिंसा, घृणा, भेद–भाव व बहिष्करण के अन्य प्रकार के अनुभव भी मिश्रित हो जाते हैं, जैसे कि मूलवंश, आयु, पंथ, निर्योग्यता अथवा आर्थिक, सामाजिक या अन्य प्रास्थिति पर आधारित हिंसा, घृणा, भेद–भाव या बहिष्कार।''

2.3 मार्गदर्शी सिद्धान्त

2.3.1 SAHRA का कार्य लैंगिक पहचान व यौनिक दिग्विन्यास तथा उसकी अभिव्यक्ति, लिंग, पंथ, आयु, योग्यता, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, जाति, वर्ग, एच0आइ0वी प्रास्थिति, पेशा या अन्य कारकों से निरपेक्ष सभी लोगो हेतु सारभूत समानता व मानवाधिकार के सिद्धान्तों पर आधारित होगा।

2.3.2 SAHRA एक सामूहिक वाणी, शक्ति व प्रभाव के निर्माण हेतु दक्षिण एशिया क्षेत्र में अन्य सामाजिक आन्दोलनों के साथ जुड़ कर कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध रहेगा।

2.3.3 SAHRA का कार्य इस क्षेत्र में LGBTI व्यक्तियों व संगठनों द्वारा उठाये गये मुद्दों व चिन्ताओं से सुनिश्चित होगा।

2.3.4 SAHRA LGBTI व्यक्तियों व उनके प्रतिरक्षणकर्ताओं की निजता, गोपनीयता व अज्ञात रहने के अधिकार का सम्मान करेगा।

2.3.5 SAHRA पारदर्शिता, उत्तरदेयता व सत्यनिष्ठा के सिद्धान्तों पर कार्य करेगा।

2.3.6 SAHRA किसी सरकार, राजनीतिक दल, निगमित हितों अथवा धार्मिक संस्थानों से स्वतंत्र रहकर कार्य करेगा।

3. प्रस्तावित कार्य

3.1 SAHRA की LGBTI व्यक्तियों अथवा संगठनों के विरुद्ध वास्तविक या समझे गये मानवाधिकार उल्लंघन के सम्पूर्ण विस्तार की समझ योग्यकर्ता सिद्धान्तों पर आधारित होगी।

3.2 SAHRA स्थानीय संगठनों की आवश्यकताओं के साथ जुड़ कर कार्य करेगा। यह संगठन किसी स्थानीय आन्दोलन को प्रतिस्थापित नहीं करेगा।

3.3 SAHRA के कार्य में शामिल होगाः

– राज्य अथवा ग़ैर–राज्य कर्ताओं व एकल व्यक्तियों द्वारा कारित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का प्रलेखीकरण। इस प्रलेखीकरण में क्षेत्र में सकारात्मक उन्नति व प्राप्त लाभ भी शामिल होगा।

– राष्ट्रीय एवं प्रान्त–स्तरीय मानवाधिकार संघों के साथ कार्य करना।

– राज्यों, सदस्य संगठनों व अन्य दावेदारों के साथ अधिवाचन करना।

– दक्षिण एशिया क्षेत्र में LGBTI व्यक्तियों के मुद्दों पर किये जाने वाले कार्यों की रूप–रेखा तैयार करना।

– मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का प्रलेखीकरण करने व उन पर प्रतिक्रिया करने हेतु सदस्य संगठनों व समूहों का क्षमता निर्माण करना।

3.4 सदस्यगण, जो प्रलेखीकरण करने में योग्य नहीं हैं, को SAHRA द्वारा इन प्रक्रियाओं व हस्तक्षेपों को किये जाने हेतु सहयोग दिया जा सकता है।

3.5 मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर SAHRA की प्रतिक्रिया में शामिल हो सकता है विधिक सहायता व परामर्श, पुलिस व अन्य राज्य अभिकरणों के साथ कार्य करना, सूचना जारी करना, कार्यवाही हेतु सचेत करना व अन्य आवश्यक कार्यवाही करना। यह प्रतिक्रियायें सम्बन्धित राष्ट्रों में आधारित स्थानीय संगठनों के साथ समन्वयित की जायेंगी।

4. प्रस्तावित संरचना

4.1 सदस्यता

4.1.1 दक्षिण एशिया क्षेत्र में आधारित सभी संगठन व एकल व्यक्ति, जो या तो LGBTI व्यक्तियों की भाँति पहचाने जाते हैं अथवा दक्षिण एशिया में अधिकारहीन यौनिक एवं लैंगिक व्यक्तियों के मुद्दों पर कार्य करते हैं अथवा दोनों प्रकार से हैं; तथा हमारे दूर–दर्शिता, ध्येय तथा कार्य उद्देश्यों से सहमत हैं, वे मताधिकार सहित सदस्य हो सकते हैं।

4.1.2 सदस्यता को समाप्त अथवा निलम्बित किया जा सकता है यदि किसी सदस्य की नीतियाँ और/अथवा गतिविधियाँ SAHRA के दृष्टिकोण, वृहद उद्देश्य तथा कार्य उद्देश्यों से असंगत हैं।

4.1.3 गठबंधन व तंत्रजाल, दानदाता अथवा राहत अभिकरण, राजनीतिक दल, सरकारी संगठन व अन्तर्राष्ट्रीय संगठन SAHRA के सदस्य नहीं हो सकते।

4.2 पंजीकरण

SAHRA को सम्यक् क्रम में SAARC स्थानीय–स्तर अन्तर्राष्ट्रीय अशासकीय संगठन (INGO) के रूप में विस्तारित करने के उद्देश्य के साथ एक विधिक अस्तित्व की भाँति, प्राथमिकतागत दक्षिण एशिया में, एक ऐसे राष्ट्र में (एतस्मिनपश्चात् ''मेजबान राष्ट्र'' की भाँति संदर्भित) पंजीकृत कराया जायेगा जहाँ विधिक–मान्यतायें व व्यावहारिकताएँ सर्वाधिक हितकर हों। यह तदनुसार विदेशी सदस्यता (एकल व्यक्ति तथा सांगठनिक) हेतु उपबंधित करेगा।

4.3 निदेशक मण्डल

4.3.1 आरम्भिक निदेशक मण्डल मेजबान राष्ट्र के सदस्यों को शामिल करके (पंजीकरण की विधिक आवश्यकताओं पर आधारित रहते हुए) बनाया जा सकेगा। इनमें से तीन निदेशक विद्यमान कार्य–दल में से होंगे, तथा बाकी की नियुक्ति कार्य–दल द्वारा की जायेगी। इनका चयन कार्य–दल के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित नामों के समूह में से किया जायेगा, तथा जो या तो स्वयं LGBTI व्यक्ति होंगे, अथवा LGBTI मुद्दों पर कार्य करते होंगे, अथवा प्रासंगिक कार्य अनुभव के साथ समर्थक होंगे। आरम्भिक निदेशक मण्डल कार्य–दल से परामर्श करके कार्य करेगा, जिसका विवरण एक सहमति–पत्र (MOU) में सम्यक् रूप से लिपिबद्ध किया जायेगा।

4.3.2 SAHRA शीघ्रातिशीघ्र एक ऐसे मण्डल (एतस्मिनपश्चात् ''पूर्ण मण्डल'' की भाँति संदर्भित) का गठन करेगा, जिसमें SAARC द्वारा परिभाषित *आठ* दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के सदस्य शामिल होगे। वर्तमान में *पाँच* राष्ट्र (नेपाल, भारत, बांगलादेश पाकिस्तान व श्री लंका) इसका भाग हैं; अन्य राष्ट्रों (अफ़गानिस्तान, मालदीव व भूटान) से सदस्य शामिल करने हेतु प्रयास किया जायेगा। मण्डल में प्रत्येक राष्ट्र से तीन प्रतिनिधि होंगे। राष्ट्र के प्रतिनिधि सम्बन्धित राष्ट्र के सदस्यों द्वारा अपने राष्ट्र में से चुने जायेंगे।

4.3.3 पूर्ण मण्डल में प्रत्येक राष्ट्र से एक पुरुष, एक स्त्री व एक अंतर–लैंगिक होगा। यदि राष्ट्र–आधारित चुनाव प्रक्रिया से अपेक्षित तीन सदस्य सामने नहीं आ सकेंगे, तो पूर्ण मण्डल का यह कर्तव्य होगा कि एक स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा उक्त रिक्तियों को तदनुसार भरने हेतु एकल व्यक्तियों का नामांकन करे। यदि ऐसा सम्भव नहीं होगा, तो अगले चुनाव तक वह स्थान रिक्त रहेंगे।

4.3.4 पूर्ण मण्डल के गठन पर आरम्भिक निदेशक मण्डल का समापन को जायेगा।

4.3.5 पूर्ण मण्डल के प्रथम काल हेतु आधे सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये कार्य करेंगे व आधे सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये कार्य करेंगे

(इसका निर्धारण एक लॉटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा)। तत्पश्चात् सभी सदस्यों का चुनाव दो वर्ष की अवधि हेतु होगा। मण्डल के सदस्य दूसरे कार्यकाल हेतु चुनाव हेतु खड़े हो सकेंगे व उसके बाद उन्हें पश्चात्वर्ती कार्यकाल हेतु चुनाव हेतु खड़े होने से पूर्व एक कार्यकाल का अन्तर करना होगा।

4.3.6 प्रथम पूर्ण मण्डल के चुनाव की प्रक्रिया का प्रारूपन एवं प्रबंधन कार्य–दल की एक चुनाव उप–समिति द्वारा किया जायेगा।

4.3.7 यदि मण्डल के किसी सदस्य द्वारा कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्याग–पत्र दे दिया जाता है अथवा वह किन्हीं अप्रत्याशित कारणों से कार्यकाल को पूरा करने में अयोग्य रहता है, अथवा वह दोषारोपण करके हटा दिया जाता है, तब पूर्ण मण्डल यह निर्धारित करेगा कि क्या उस रिक्ति को भरने हेतु चुनाव कराया जाये अथवा अगले निर्धारित चुनाव कार्यक्रम तक प्रतीक्षा करे। (कार्य–दल की एक उप–समिति दोषारोपण द्वारा हटाये जाने हेतु प्रक्रिया विकसित करेगी)

4.3.8 SAHRA का मण्डल कम–से–कम वर्ष में एक बार बैठक करेगा। या और शीघ्र, यदि मेजबान राष्ट्र की विधि के अन्तर्गत ऐसी आवश्यकता हो।

4.4 कार्यकारिणी समिति

4.4.1 कार्यकारिणी समिति गठित करने हेतु पूर्ण मण्डल के *पाँच* सदस्य (प्रत्येक राष्ट्र से एक) पूर्ण मण्डल द्वारा चुने जायेंगे। यह संख्या आठ सदस्य तक बढ़ाई जायेगी यदि वर्तमान में प्रतिनिधित्व रहित SAARC राष्ट्रों में से प्रतिनिधि जुड़ जाते हैं।

4.4.2 SAHRA के कार्य एवं उसके सचिवालय को दिशा–निर्देशित करने हेतु कार्यकारिणी समिति उत्तरदायी होगी।

4.4.3 पूर्ण मण्डल एक अध्यक्ष, एक सचिव, व एक कोषाधिपति का चुनाव करेगा जो पूर्ण मण्डल के कार्यकाल तक कार्य करेंगे व उन्हें SAHRA के पंजीकरण दस्तावेज़ों में उल्लिखित कार्यों को करने का प्राधिकार होगा।

4.4.4 कार्यकारिणी समिति इलैक्ट्रोनिक रूप से व व्यक्तिगत रूप से, जैसा भी आवश्यक हो, एकत्र हुआ करेगी।

4.4.5 **गणपूर्ति (कोरम) एवं कार्यवाही:** सदस्यता बैठकों, मण्डल की बैठकों, कार्यकारिणी समिति की बैठकों, व कार्य–दल की बैठकों हेतु न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। SAHRA के सदस्यों, मण्डल या कार्यकारिणी समिति द्वारा कोई आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु गणपूर्ति स्थापित हो जाने के पश्चात् उपस्थित सदस्यों (इलैक्ट्रोनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से) के 51 प्रतिशत द्वारा उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया जाना अनिवार्य होगा।

4.5 सचिवालय

सचिवालय के संघटक होंगेः एक कार्यकारी निदेशक, एक प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधक, व राष्ट्र के अधिकारीगण। कार्यकारी निदेशक SAHRA के मण्डल का *पदेन* सदस्य होगा।

5. कार्य–दल

5.1 वर्तमान में कार्य–दल में निम्न राष्ट्रों से आये सदस्य शामिल हैंः नेपाल, भारत, बांगलादेश पाकिस्तान व श्री लंका।

5.2 कार्य–दल ने अब तक SAHRA की रणनीति योजना में सहयोग किया है। इसमें एकल व्यक्ति तथा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। श्री लंका, पाकिस्तान बांगलादेश व नेपाल से अधिकतम तीन प्रतिनिधि होंगे, व भारत से अधिकतम छः। लैंगिक व क्षेत्रीय विविधताओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्य–दल में भागीदार प्रत्येक राष्ट्र से कम–से–कम एक अंतर–लैंगिक व्यक्ति, एक स्त्री व एक पुरुष होगा।

5.3 कार्य–दल ने यह निर्धारित किया है कि उसके सदस्य निम्न योग्यता अवश्य धारित करते होंः

– SAHRA के कार्य हेतु संकल्पित हो;

– SAHRA के कार्य को करने हेतु पर्याप्त समय हो;

– LGBTI समुदाय से हो;

– LGBTI समुदाय व दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से विविधता का प्रतिनिधित्व करता हो;

– दक्षिण एशियाई हो व दक्षिण एशिया में आधारित हो;

– व्यक्तिगत तौर पर LGBTI मुद्दों हेतु कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हो अथवा किसी ऐसे संगठन का सदस्य हो जिसे LGBTI मुद्दों पर कार्य करने हेतु जाना जाता हो;

– मानवाधिकारों के वृहद मुद्दों व दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संरचना को समझता हो;

– स्थानीय LGBTI समुदाय में विश्वसनीयता व कार्य करने का अनुभव हो।

5.4 **अवधि/कार्यकालः** कार्य–दल उस समय तक कार्य–प्रक्रिया में बना रहेगा जब तक SAHRA का पूर्ण मण्डल चुन नहीं लिया जाता। तत्पश्चात्, यदि आवश्यकता हो तो निरंतरता व सहयोग उपलब्ध कराने हेतु कार्य–दल के सदस्य एक वर्ष की अवधि हेतु स्वयं को प्रथम पूर्ण मण्डल को उपलब्ध करायेंगे।

5.5 पूर्ण मण्डल के चुनाव हेतु खड़े हो रहे कार्य–दल के सदस्य मण्डल के चुनाव हेतु उप–समिति के कार्य की देख–रेख हेतु योग्य नहीं होंगे।

5.6 **कार्य–दल के नवीन सदस्यों का प्रतिस्थापन अथवा नियुक्तिः** कार्य–दल के नवीन सदस्यों का प्रतिस्थापन अथवा नियुक्ति का निर्णय सम्बन्धित भागीदार राष्ट्र के कार्य–दल सदस्यों द्वारा उपरोक्त पैरा 5.2 व 5.3 का पालन करते हुए किया जायेगा।

6. राष्ट्र–स्तरीय नियंत्रण समितियाँ

6.1 SAHRA का पंजीकरण लंबित रहने के दौरान एक अन्तरिम उपाय के तौर पर व राष्ट्र विशेष कार्य–योजनाओं को सुगम बनाने हेतु, प्रत्येक भागीदार राष्ट्र में राष्ट्र–स्तरीय नियंत्रण समितियाँ होनी चाहिए।

6.2 नियंत्रण समितियों में राष्ट्र विशेष से विद्यमान कार्य–दल सदस्य व उसी राष्ट्र में अन्यत्र से ली गई समान संख्या शामिल होगी।

6.3 नियंत्रण समिति सदस्यों की नियुक्ति अथवा प्रतिस्थापन का निर्णय सम्बन्धित भागीदार राष्ट्र के कार्य–दल सदस्यों द्वारा किया जायेगा। इन निर्णयों को लेते समय, उक्त कार्य–दल सदस्य उपरोक्त पैरा 5.3 व लैंगिक एवं क्षेत्रीय विविधताओं के प्रभावी प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त से दिशा–निदेर्शित होंगे।

6.4 नियंत्रण समिति सदस्यों की अवधि एवं कार्यकाल कार्य–दल सदस्यों की अवधि एवं कार्यकाल अथवा राष्ट्र विशेष कार्य–योजनाओं के समापन, जो भी पहले हो, का सहगामी होगा।

दिनांकः 26 अगस्त 2012
स्थानः काठमाण्डू (नेपाल)

इस वैचारिक–प्रपत्र/आमंत्रण/संक्षिप्त जानकारी/आवेदन–पत्र में प्रयोग किये गये कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण–

1. **दिग्विन्यास (orientation)** अर्थात् झुकाव
2. **एकल व्यक्ति (individual):** चूँकि कंपनी, फ़र्म आदि को भी कानून की दृष्टि में व्यक्ति माना जाता है, अतः individual को एकल व्यक्ति कहा जाता है
3. **उपस्थिति दर्ज कराई (attended by)** अर्थात् सभा में शरीक हुए
4. **अस्तित्ववान् (exist)** अर्थात् जो मौजूद हैं
5. **एतस्मिनपश्चात् (hereinafter)** अर्थात् इसके बाद इस प्रपत्र में जहाँ भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है
6. **संयुक्त रूप से (collectively)** अर्थात् एक साथ मिलाकर
7. **कोष समझौता (fiscal arrangement)** अर्थात् कार्यक्रम आयोजित करने हेतु धन के लिए किया गया समझौता
8. **सुदृढ (strengthen)** अर्थात् मजबूत
9. **एतस्मिनपश्चात् लघु रूप में (hereinafter referred to in short)** अर्थात् इसके बाद छोटे रूप में
10. **स्वैच्छिक (voluntarily)** अपनी इच्छा से
11. **उपस्थित (attending)** भाग लेने वाले
12. **प्रतिनिधिगण (representatives)** नुमाइन्दे
13. **निर्णय (decision)** फ़ैसला
14. **संतुलन (balance)**
15. **अंतरिम अवधि (interim period)** के दौरान
16. **प्रयास (effort)** कोशिश
17. **पश्चात् (after)** के बाद
18. **पूरक बैठक (follow-up meeting)** एक और बैठक
19. **कालांतर (subsequently)** बाद में
20. **स्तरों (levels)**
21. **समाहित (acomodate)** शामिल
22. **उक्त (abovesaid)** पहले कहा गया
23. **सम्यक् रूप से संशोधित (duly revised)** अच्छी तरह से सुधारा गया
24. **स्वतंत्र विधिक अस्तित्व (separate legal entity)** कानून की निगाह में एक अलग व्यक्ति
25. **सारभूत (substantive)** बड़ी मात्रा में
26. **आरम्भ करना (to commence)** शुरुआत करना
27. **अन्तर्निहित अधिकार (inherent right)** जो अधिकार उसके अन्दर शामिल हो/मूल अधिकार
28. **प्रतिरक्षणकर्ता (defenders)** बचाव करने वाले
29. **संरक्षण (protect) प्रोन्नयन (promote) पूर्तिकरण (fulfil)**
30. **सक्षमकारी वातावरण (enabling environment)** एक ऐसा वातावरण जिसमें कोई कार्य किया जा सके
31. **प्रलेखीकरण/दस्तावेज़ीकरण (documentation)** दस्तावेज़ तैयार करना
32. **न्यायिकेतर (extra-judicial)** जो किसी न्यायालय के आदेश के पालन से अलग है
33. **परिरोध (detention)** बंदी बना लेना
34. **उपभोग (enjoyment)** वास्तव में अधिकार का इस्तेमाल करना
35. **बहिष्करण (exclusion)** निकाल देना
36. **मिश्रित हो जाना (compounded)** मिल जाना
37. **प्रास्थिति (status)** दशा/अवस्था
38. **कारक (factor)** जो किसी चीज़ की वज़ह बनते हैं

39. **निरपेक्ष (irrespective)** से अलग
40. **सारभूत समानता (substantive equality)** जो नाम–मात्र की न हो
41. **निगमित हित (corporate interest)** कंपनियों आदि के हित से संबंधित
42. **प्रतिस्थापित (replace)** किसी अन्य चीज़ की जगह लेना
43. **अधिवाचन (advocacy)** किसी मुद्दे के समर्थन में आवाज़ उठाना
44. **समन्वयित (co-ordinated)** ताल–मेल बैठा कर कार्य करना
45. **अन्तर्राष्ट्रीय अशासकीय संगठन (International Non-Government Organisation) (INGO)**
46. **सर्वाधिक हितकर (most conducive)** जहाँ सबसे ज़्यादा हक में हो
47. **शीघ्रातिशीघ्र (as soon as possible)** जल्दी–से–जल्दी
48. **पूर्ण मण्डल (full Board)**
49. **रिक्तियाँ (vacancies)** खाली पद
50. **तदनुसार (accordingly)** उसके अनुसार
51. **पश्चात्वर्ती कार्यकाल (subsequent tenure)** बाद वाला कार्यकाल
52. **प्रारूपन (formulation)** **प्रबंधन (management)**
53. **पदेन सदस्य (*ex-officio* member)** किसी पद पर होने के कारण बोर्ड का सदस्य माना जाना
54. **उल्लंघन (violation)** नियमों को तोड़ना
55. **प्रतिक्रिया (respond)** आवाज़ उठाना
56. **रुचिरत (interested)** शौक होना
57. **छंटनीकृत करना (shortlisted)** जाँच कर अलग करना
58. **व्यापक (comprehensive)** बड़े स्तर पर
59. **अवलोकन करें (see)** देखें
60. **संदर्भ ग्रहण करें (refer to)**
61. **एतद्संग (herewith)** इसके साथ
62. **संलग्न (attached)** साथ जुड़ा हुआ
63. **प्रारूप (Form)**
64. **अहर्ता (eligibility)**
65. **मत–समता रखना (agree)** सहमत होना
66. **क्षमता (capacity/position)**
67. **साख (credibility)**
68. **विस्तारण (expansion)** बढ़ाना
69. **निर्माण (creation)**
70. **अल्पसंख्यक (minorities)** जनसंख्या का वह भाग जो छोटी संख्या में हो
71. **तंत्र–विकास (network building)** अपने संपर्क बनाना व मजबूत करना
72. **नियंत्रण समिति (steering committee)** वह समिति जो कार्य–योजना लागू करेगी
73. **सुसंगत (relevant)** जो संबंध रखता हो
74. **एकल कार्यकर्ता (individual activist)** एक व्यक्ति जो कंपनी, संस्था आदि नहीं है
75. **भौगोलिक क्षेत्र (geographic area)**